E-78125

संख्या– /**XVIII-B-1/2024-04(73)/2024**

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक सितम्बर, 2024

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग के श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के छोटी लिनचोली के कि0मी0 08/3–4 में भूस्खलन एवं बादल फटने के कारण प्रभावित मार्ग का सुरक्षात्मक हेतु प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–5623 दिनांक 04.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम **जनपद रूद्रप्रयाग के श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के छोटी लिनचोली के कि0मी0 08/3–4 में भूस्खलन एवं बादल फटने के कारण प्रभावित मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य लागत रू0 61.47 लाख** की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य को **दिनांक 10.09.2024** को संपन्न **मूल्यांकन एवं विभागीय समिति** की बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के उपरांत प्रश्नगत कार्य की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में **दिनांक 18.09.2024** को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत **राज्य कार्यकारिणी समिति** की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3– अतः राज्य कार्यकारिणी सिमति के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत स्वीकृत **जनपद रूद्रप्रयाग के श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के छोटी लिनचोली के कि0मी0 08/3–4 में भूस्खलन एवं बादल फटने के कारण प्रभावित मार्ग का सुरक्षात्मक कार्य लागत रू0 61.47 लाख** के सापेक्ष वित्त विभाग के मानकानुसार **60 प्रतिशत** धनराशि **रू0 36.882 लाख अर्थात रू0 36.88 लाख (रू0 छत्तीस लाख अट्ठासी हजार मात्र)** प्रथम किश्त के रूप में निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर अवमुक्त कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या–33-2/2020-NDM-I दिनांक 14 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का यथाशीघ्र उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाऐगा।
4. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. निर्माण कार्य की गुणवत्ता एंव workmanship प्रत्येक दशा में उच्च स्तर की बनाये रखना सुनिश्चित किया जाए।
6. निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जा रही समाग्री के परीक्षण करने हतु कार्यस्थल पर लैब का गठन किया जाय।
7. निमार्ण कार्य यथाः रेत, बजरी, स्टोन, पी0वी0सी0 पाईप, सीमेन्ट, स्टील एंव अन्य का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुरूप NABL Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
8. निर्माण कार्यों को Economic Cost Effectiveness & Technically Most Feasible तकनीक को ध्यान में रखते हुए सम्पादित कराये जायें।
9. बाढ़ सुरक्षा कार्यों का ओरियन्टेशन एवं सम्पादन इस प्रकार किया जाय कि निर्मित कार्यों की शत प्रतिशत लक्षित उद्देश्य की पूर्ति हो एवं परिकल्पित अवधि से पूर्व किसी प्रकार की हानि की संभावना न रहें।
10. निर्माण कार्य के कियान्वयन एवं सम्पादन में उच्च अधिकारियों से निरन्तर समन्वय रखा जाय, ताकि उनकी आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके।
11. भूमिगत निर्माण कार्यों का सम्पादन शत प्रतिशत सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जाय तथा समुचित विडियोग्राफी भी कराई जाय।
12. योजना से सम्बन्धित कार्यों की Economic डिजाईन एवं ड्राइंग सक्षम स्तर से अवश्य अनुमोदित करायी जाय।
13. योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
14. कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता के लिये संबंधित विभागाध्यक्ष/निर्माण ऐजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
15. कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं निविदा आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
16. तृतीय किश्त की धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग करने के उपरान्त सम्पूर्ण कार्य योजना की विडियोग्राफी, उच्च श्रेणी के रंगीन फोटोग्राफ ग्लोसी पेपर पर, तृतीय पक्ष गुणवत्ता जांच आख्या के साथ–साथ Quality Assurance एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

17. रू0 5.00 करोड़ से अधिक की लागत की योजनाओं को अनिवार्य रूप से गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करें तथा रू0 5.00 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों की द्वितीय किश्त की मांग हेतु उपरोक्त बिन्दु संख्या 16 पर मांगी गयी सूचना के अतिरिक्त गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड की गयी योजना, मासिक/त्रैमासिक आख्या/अभिलेख उपलब्ध करायें।
18. नदी तटों पर बाढ़ सुरक्षा कार्य के निर्माण में Flood Plane Zoning एवं एन0जी0टी0 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
19. मित्त व्ययता के दृष्टिकोण से यथासंभव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन विभाग को अवगत करायेंगे।
20. बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन के साथ–साथ यथाआवश्यकता बायो–इंजीनियरिंग के कार्य भी अनिवार्य रूप से किये जायें।
21. **भविष्य में निर्माण कार्य के स्थलीय फोटोग्राफ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लिये गये फोटोग्राफ के स्तर पर भी लिये जायें तथा सीमेंट कंकरीट ब्लॉक का कार्य मानका विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाय ताकि निर्मित कार्यों/आगणन में संलग्न कार्यस्थल का मिलान किया जा सके।**
22. **प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय/अन्तिम किश्त का निर्धारण उक्त कार्य के अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराये जाने व सम्बन्धित जिलाधिकारी की आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।**

8– उक्त वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में आपके निर्वतन पर वित्त विभाग के मानकानुसार प्रथम किश्त के रूप में **रू0 36.88 लाख (रू0 छत्तीस लाख अट्ठासी हजार मात्र)** की धनराशि आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन संचालित राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के बैंक खाते से पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी।

9– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्य–08–एस0डी0 एम0एफ0–797–रिजर्व फंड को हस्तांतरण–03–एस0डी0एम0एफ0 से व्यय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामे डाला जायेगा/अंकन किया जायेगा।

10– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–201358/09 (150)2019/XXVII(1)/2024, (E-63865) दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है एवं इस शासनादेश में धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रुप से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by
Vinod Kumar Suman
Date: 30-09-2024 09:59:10

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

संख्या– (1)/**XVIII-B-1/2024-04(73)/2024,** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।

2– सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, लाक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9– मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Vikram Singh Yadav
Date: 30-09-2024 11:12:38

(विक्रम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव